


3.5.18

पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय आर्के
द्वार 2018 के कैम्प सांवा में पेश हुई। प्रार्थी
उपरो विप्रार्थी सं 2 कैम्प में उपरो परसु
छस्ताक्षर करने से मना किया। प्रार्थी को
धुना गया। उक्त प्रकरण की तहसीलदाट
सेवा से तथा मजमे काम गहनता से
जानकारी जुटाई गयी। जिससे स्पष्ट
हुआ कि पूर्व में प्राप्त भौका रिपोर्ट में
दर्शाये गये शस्त्रों के अतिरिक्त अन्य दूसरा
कोई नजदीक वैकल्पिक शस्त्र उपलब्ध
नहीं है। अतः इस न्यायालय के पूर्व के
निर्णय को यथावत रखना उचित
प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय
के पूर्व के निर्णय दिनांक 26/5/15 को
यथावत रखने के आदेश दिये जाते हैं।
उपरोक्तानुसार तहसीलदाट सेवा को तद्विधि
जारी है। पत्रावली के कुल शुभारंभ
हैक्ट दायित्व यफ्तार है। संख्या 1
कत है।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन